



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1920]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2013/श्रावण 28, 1935

No. 1920]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2013/SHRAVANA 28, 1935

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2013

का.आ. 2494(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय, गुवाहाटी की सिफारिश पर केन्द्र सरकार श्री पू. टी. मैकुंगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश आइजॉल, जिन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 22 अगस्त, 2012 की संख्या का.आ. 1945(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत उक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय, की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप श्री के. एल. वियाना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आइजॉल को उक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय, अर्थात् आइजॉल का जिला एवं सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।

[फा सं. 17011/50/2009 आई एस IV (पार्ट I)]

राकेश सिंह, मंजुस्त मंचित

S.O. 2494(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) and on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati, the Central Government hereby appoints Shri K. L. Liana, District and Sessions Judge, Aizawl as Judge to preside over the National Investigation Agency Special Court, that is, the Court of District and Sessions Judge, Aizawl, consequent upon the transfer of Shri Pu T. Saikunga, District and Sessions Judge, Aizawl who was appointed as a Judge to preside over the said National Investigation Agency Special Court vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 1945 (E), dated the 22nd August, 2012.

[F No 17011/50/2009-IS-IV (Pt-I)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2147(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईजोल के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मिजोरम राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Aizawl as the Special Court for purposes of the said Sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Mizoram.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2148(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिलांग के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मेघालय राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Shillong as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Meghalaya.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2149(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मणिपुर राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Manipur.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2150(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपिया, ईटानगर के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव